

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)
प्रार्थना पत्र संख्या :- 46/2025 दिनांक 21/5/25

अनवान

हीरालाल पिला कृपा धाकड़
निगडी मछावरी लोवेयें प्रार्थी / प्रार्थीगण
बनाम

श्रीरामलाल पुत्र मेवुरलाल धाकड़ लोवेयें
निगडी मछावरी लोवेयें विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री डी.ए.ए. धाकड़ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मछावरी पटवार हल्का मछावरी की आराजी संख्या 417 कुल कीता-0.1 कुल रकबा 0.25/0 है।

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मछावरी पटवार हल्का मछावरी की आराजी संख्या 417 कुल कीता-0.1

कुल रकबा 0.25/0 है। भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता (3)

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिस्ता / 2025/ 246
प्रार्थना पत्र संख्या 46/25

य अनवान हीरालाल पिला कृपा धाकड़ प्रार्थना पत्र अधा 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको चास्ते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 21/5/25

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चितौडगढ़(राज.)